



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 19] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 21, 2019/माघ 1, 1940  
No. 19] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 21, 2019/MAGHA 1, 1940

---

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 जनवरी, 2019

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019

**सं.सेबी/एलएडी-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/02.**—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 12 के खंड (घ) एवं खंड (ङ) के साथ पठित धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में,-

(I) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में:-

(i) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(जक) “संप्रवर्तक समूह” का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 या उसके किसी संशोधन आदि के तहत उसके लिए नियत हो;”

(ii) मौजूदा खंड (जक), (जख) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा;

(II) विनियम 7 में,-

(i) उप-विनियम (1) में,-

**(क)** खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(क) प्रत्येक कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टेड) हों, का प्रत्येक संप्रवर्तक (प्रोमोटर), संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) का प्रत्येक सदस्य, प्रबंध-मंडल का प्रत्येक मुख्य व्यक्ति (प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) और प्रत्येक निदेशक इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख को कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता (होलिंडिंग), इन विनियमों के प्रभावी होने के तीस दिनों के भीतर कंपनी को प्रकट करेंगे;”

**(ख)** खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ख) कंपनी के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) या निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर अथवा संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह का सदस्य बनने पर प्रत्येक व्यक्ति नियुक्ति अथवा संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह का सदस्य बनने की तारीख को कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता (होलिंडिंग), ऐसी नियुक्ति अथवा इस प्रकार संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह का सदस्य बनने के सात दिनों के भीतर कंपनी को प्रकट करेगा।”

(ii) उप-विनियम (2) में, खंड (क) में, शब्द और चिह्न “संप्रवर्तक, पदाभिहित व्यक्ति और निदेशक”, शब्दों और चिह्नों “संप्रवर्तक, संप्रवर्तक समूह का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाभिहित व्यक्ति और प्रत्येक निदेशक” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./495/18]

**पाद टिप्पणः**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/21/85 द्वारा, 15 जनवरी 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 तत्पश्चात्, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/59 द्वारा, 31 दिसम्बर, 2018 को संशोधित हुए थे।

\*\*\*\*\*

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA  
NOTIFICATION**

Mumbai, the 21st January, 2019

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA  
(PROHIBITION OF INSIDER TRADING) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2019**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/02.**—In exercise of the powers conferred under Section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 11 and clauses (d) and (e) of Section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, –
  - (I) in regulation 2, in sub-regulation (1): –
    - (i) after clause (h), following new clause shall be inserted, namely:–  
"(ha) "promoter group" shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 or any modification thereof;"
    - (ii) existing clause (ha) shall be re-numbered as (hb);
  - (II) in regulation 7, –
    - (i) in sub-regulation (1),
      - (a) in clause (a) after the word "promoter", and before the word and symbol ", key" the words ", member of the promoter group" shall be inserted;

(b) in clause (b), the word "promoter" wherever appearing shall be substituted with "promoter or member of the promoter group";

(ii) in sub-regulation (2), in clause (a), after the word "promoter" and before the word and symbol", designated person", the words and symbol", member of the promoter group" shall be inserted.

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

[ADVT-III/4/Exty./495/18]

**Footnotes:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India on January 15, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/21/85.
2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was amended on December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2018/59.